राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 51 ( ) ग्रावि/ग्रुप–3/शिका./जोधपुर/10–11

दिनांक
16/9/2011.

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम, राजस्थान
जोधपुर।

विषय :– ग्राम पंचायत स्तर की नरेगा स्थाई समिति की अनुशंषा के अभाव में ग्राम पंचायत के बकाया भुगतान के निस्तारण बाबत।
संदर्भ :– आपका पत्र पत्रांक एमजी नरेगा/पर्यवेक्षण/भुगतान/11–12/4920 दिनांक 24.8.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम मे लेख है कि आपके द्वारा उक्त पत्र में बताया गया है कि पूर्व सरपंच की वर्तमान सरपंच एवं वार्ड पंच से रंजिश की वजह से वर्तमान सरपंच द्वारा चैक पर हस्ताक्षर नही करने से बकाया भुगतान करने में कठिनाई आ रही है तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देश दिनांक 2.10.10 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा स्थाई समिति की अनुशंषा के बिना भुगतान नहीं किया जा सकता है। चूंकि सरपंच एवं वार्ड पंच ग्राम पंचायत की नरेगा स्थाई समिति के सदस्य है तथा उनकी अनुशंषा इस प्रकरण में नहीं हो रही है।

उक्त प्रकरण के संबंध में लेख है कि इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2 (64) आर. डी/नरेगा/ 2009–10 दिनांक 08.02.10, जिसमे नरेगा स्थाई समिति के गठन एवं कार्यक्षेत्र का वर्णन किया गया है, के बिन्दु संख्या 4 व 5 में स्पष्ट उल्लेख है कि"यदि उक्त स्थाई समिति के किसी सदस्य द्वारा सामग्री क्रय की दरो, प्रक्रिया, गुणवत्ता, मात्रा अथवा सदुपयोग के संबंध में कोई अन्यथा टिप्पणी की है तो स्वयं ग्राम पंचायत का ग्रुप सचिव अविलम्ब स्थाई समिति की संस्तुति को पंचायत समिति में विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत करेगा एवं तदनन्तर इस प्रकार की आपत्ति प्राप्त होते ही पंचायत समिति के विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा रिवाल्विंग फण्ड का पुनर्भरण रोक दिया जायेगा एवं आपत्ति के संबंध में मौके पर जांच करके 7 दिवस में उचित आदेश पारित कर ग्राम पंचायत को सूचित करते हुये आदेश की प्रति जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समवन्यक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को भी प्रेषित की जाएगी। उक्त आदेश के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण में अग्रिम

कार्यवाही की जायेगी।" यदि फिर भी ग्राम पंचायत बकाया भुगतान संबंधित कार्यवाही नही करती है तो राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 211 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

अतः इस प्रकार के प्रकरणों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(रामनिवास मेहता)

परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिप निम्न को समान प्रकरणो में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त राजस्थान
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम/ द्वितीय एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान
3. परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद समस्त राजस्थान
4. वेबसाइट पर अपलोड हेतु कार्यालय हाजा एम.आई.एस मैनेजर

16/9/11.

परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस